

18/01/18

APP-A  
Crim-1

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... उप खण्ड अधिकारी..... मुकाम.....  
बाडमेर  
..... तहसीलदार बाडमेर ..... बनाम..... राजस्थान सरकार .....

किस्म मुकदमा रास्तों का निराकरण नं. 04 सन् 2018

तरीखहुकम	हुकम कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए																																																
18/01/18	<p>पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन में अंकित खसरान में ग्राम करनपुरा में स्थाई रास्ता जो वांकलपुरा से करनपुरा तक जा रहा है, जिसकी लम्बाई 1.090 कि.मी. है, जो संलग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शाई गई है। उक्त रास्ता बारामासी है। लिहाजा राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित पक्षकारान के खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन करावें।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन में अंकित खसरान की भूमि में रास्ता बना हुआ है, परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे राजस्व अभिलेख में सम्बन्धित के खाते में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर मौजा करनपुरा की निम्नानुसार भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाई गई है को सम्बन्धित खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमाकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावे:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क. सं.</th> <th>नाम खातेदार</th> <th>ख.नं.</th> <th>कुल रकबा (बीघा में)</th> <th>रास्तों की लम्बाई- चौड़ाई (फीट में)</th> <th>रास्तों में प्रभावित रकबा (बीघा में)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>राजस्थान सरकार</td> <td>2335/299</td> <td>0.15</td> <td>653 X 20</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>राजस्थान सरकार</td> <td>2327/299</td> <td>1.06</td> <td>1133 X 20</td> <td>1.06</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>राजस्थान सरकार</td> <td>2367/295</td> <td>5.00</td> <td>915 X 20</td> <td>1.01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>राजस्थान सरकार</td> <td>2334/296</td> <td>0.11</td> <td>480 X 20</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>राजस्थान सरकार</td> <td>2336/294</td> <td>0.19</td> <td>392 X 20</td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td colspan="3">योग :-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4.02</td> </tr> </tbody> </table> <p>नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फौसल होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	क. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्तों की लम्बाई- चौड़ाई (फीट में)	रास्तों में प्रभावित रकबा (बीघा में)	1	2	3	4	5	6	1	राजस्थान सरकार	2335/299	0.15	653 X 20	0.15	2	राजस्थान सरकार	2327/299	1.06	1133 X 20	1.06	3	राजस्थान सरकार	2367/295	5.00	915 X 20	1.01	4	राजस्थान सरकार	2334/296	0.11	480 X 20	0.11	5	राजस्थान सरकार	2336/294	0.19	392 X 20	0.09	योग :-			-	-	4.02	
क. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा (बीघा में)	रास्तों की लम्बाई- चौड़ाई (फीट में)	रास्तों में प्रभावित रकबा (बीघा में)																																													
1	2	3	4	5	6																																													
1	राजस्थान सरकार	2335/299	0.15	653 X 20	0.15																																													
2	राजस्थान सरकार	2327/299	1.06	1133 X 20	1.06																																													
3	राजस्थान सरकार	2367/295	5.00	915 X 20	1.01																																													
4	राजस्थान सरकार	2334/296	0.11	480 X 20	0.11																																													
5	राजस्थान सरकार	2336/294	0.19	392 X 20	0.09																																													
योग :-			-	-	4.02																																													



18/01/18